भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5500

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना

†5500. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में विशेष रूप से महाराष्ट्र और सांगली जिले में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र और सांगली में उक्त योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक आवेदकों और लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है और 2020 से उनकी भागीदारी की प्रवृत्ति क्या रही है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक लाभार्थियों की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 9.4 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 4.3 प्रतिशत हो गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित अल्पसंख्यकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बेहतर पहुंच और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अथवा संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय कल्याण योजनाओं में, विशेषकर महाराष्ट्र और सांगली में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई राज्य-विशिष्ट कार्यान्वयन लक्ष्य अथवा विशेष पहल निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना 01 जून, 2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के उन पथ विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना था जिनका व्यवसाय लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। यह योजना धर्म, जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी पृष्ठभूमियों के पथ विक्रेताओं को सहायता देने के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न पहल कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी/ऋण देने वाली संस्थाओं के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना और विभिन्न जागरूकता अभियान शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना का लाभ उठाने के लिए विक्रेताओं तक पहुंच बनाने और लाभों का प्रचार-प्रसार करने के लिए नियमित रूप से स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र और सांगली जिले में योजना के तहत अल्पसंख्यक आवेदकों और लाभार्थियों की संख्या का विवरण और 2020 से उनकी भागीदारी का रुझान अनुलग्नक में है। सांगली जिले सहित महाराष्ट्र में तथा राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी में पिछले कुछ वर्षों में मामूली गिरावट आई है। योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की संख्या पथ विक्रेताओं पर निर्भर करती है क्योंकि उन्हें ऋण के लिए आवेदन करना होता है। धर्म, जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी लाभार्थियों से आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

(घ) और (ड.) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 4 जनवरी, 2021 को चयनित 125 यूएलबी में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ' स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में,

देश भर में कुल 3564 चयनित यूएलबी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। यह कार्यक्रम पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों के लिए सुरक्षा जाल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई 8 चयनित केंद्र सरकार कल्याण योजनाओं से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। ये 8 योजनाएँ हैं (i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (ii) पीएम सुरक्षा बीमा योजना (iii) प्रधानमंत्री जन धन योजना (iv) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्तों विनियमन) अधिनियम (बीओसीडब्ल्यू) (v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पोर्टेबिलिटी लाभ - वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) (vii) प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना और (viii) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)। 31 मार्च 2025 तक, 95.46 लाख परिवार के सदस्यों के साथ 44.96 लाख पीएम स्वनिधि लाभार्थियों के लिए सामाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी हो गई है और कुल 127.89 लाख योजना लाभ उन्हें दिए गए हैं। आठ केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लाभार्थियों को संगठित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर मासिक शिविर आयोजित किए जाते हैं। किसी विशेष समूह या समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए जाते हैं।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5500 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम स्वनिधि योजना के तहत महाराष्ट्र और सांगली जिले में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यकों के संबंध में सम्पूर्ण ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(30.03.2025 तक)

राज्य/ जिला		कुल पात्र आवेदन	लाभार्थी	कुल स्वीकृत आवेदन	कुल संवितरित आवेदन
महाराष्ट्र राज्य	अल्पसंख्यक	67,296	42,842	58,138	55,470
	कुल	**13,10,568**	**8,52,429**	**11,38,622**	**10,85,808**
सांगली जिला	अल्पसंख्यक	1,121	758	1,068	1,047
	कुल	**25,418**	**17,646**	**24,328**	**23,881**

स्रोत: पीएम स्वनिधि पोर्टल